

खाद्य सुरक्षा और संदूषण पर उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में [खाद्य संदूषण](#) और खाद्य उद्योग में असामाजिक गतिविधियों पर बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिये दो [अध्यादेशों](#) का प्रस्ताव किया है, जो मानव अपशष्टि द्वारा संदूषण से संबंधित घटनाओं की एक शृंखला से प्रेरित हैं।

मुख्य बटि

- **नये खाद्य अध्यादेश :**
 - छद्म और सद्भाव वरिधी गतिविधियों की रोकथाम और थूकना नषिध अध्यादेश 2024 ।
 - उत्तर प्रदेश खाद्य संदूषण नविरण (उपभोक्ता को जानने का अधिकार) अध्यादेश 2024 ।
 - ये अध्यादेश थूकने या मानव अपशष्टि को [खाद्य पदार्थ में मलाने](#) से होने वाले संदूषण को [संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध बनाने](#) के लिये बनाए गए हैं ।
- **"असामाजिक तत्त्वों" और "अवैध नागरिकों" से नपिटने के लिये अध्यादेश:**
 - अध्यादेशों में उन खाद्य प्रतषिठानों के कर्मचारियों के खलिाफ सख्त कार्रवाई करने के प्रावधान शामिल होंगे, जिनके ["अवैध वदिशी नागरिक"](#) होने की पुष्टि हो गई है ।
 - इस कदम का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को बाहर नकालना है जो खाद्य पदार्थों को दूषति करने या अन्य [असामाजिक गतिविधियों](#) में संलग्न होने के लिये अपनी पहचान छपिते हैं ।
- **खाद्य प्रतषिठानों पर नाम और पहचान प्रदर्शति करना अनविरय:**
 - पारदर्शति को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने सभी खाद्य प्रतषिठानों के लिये मालिकों और प्रबंधकों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शति करना अनविरय कर दिया है ।
 - इसके अतरिकित, खाद्य प्रतषिठानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान [पहचान-पत्र पहनना](#) होगा ।
 - इस उपाय का उद्देश्य जवाबदेही सुनश्चिति करना और व्यक्तियों को अपनी पहचान छपिाने से रोकना है ।
- **CCTV कैमरे लगाना अनविरय :**
 - सभी भोजनालयों और खाद्य प्रतषिठानों को अपने रसोईघरों और भोजन कषेत्रों में [CCTV कैमरे लगाना](#) अनविरय होगा ।
 - फुटेज़ को कम से कम एक महीने तक रखा जाना चाहिये तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिये ।
 - इससे संदूषण को रोकने के लिये भोजन की तैयारी और सेवा की नगिरानी करने में सहायता मल्लेगी ।
- **उपभोक्ताओं के लिये सूचना का अधिकार :**
 - प्रत्येक उपभोक्ता को अपने द्वारा उपभोग किये जाने वाले भोजन तथा उसे तैयार करने वाले प्रतषिठान के बारे में [आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार](#) होगा ।
 - अध्यादेश यह सुनश्चिति करते हैं क विकिरेता स्पष्ट साइनबोर्ड प्रदर्शति करें तथा गलत नाम या छद्मनाम का प्रयोग न करें तथा कसिी भी उल्लंघन के लिये उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाए ।
- **अध्यादेश के लिये कानूनी और संवैधानिक प्रकरया:**
 - **वधियाी उपकरण के रूप में अध्यादेश:**
 - अध्यादेश एक असथायी कानून है जसिे कार्यपालकि (राज्य सत्र पर [राज्यपाल](#)) द्वारा तब लागू कया जाता है जब वधियाकि सत्र में नही होती है ।
 - यह राज्यों के लिये [भारतीय संवधान के अनुच्छेद 213](#) के तहत जारी कया जाता है , जो राज्यपाल को आपातकालीन स्थतियों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है ।
- **अनुमोदन और नरितरता:**
 - एक बार अध्यादेश जारी हो जाने के बाद, उसे राज्य वधियानमंडल के पुन: अधविशन में प्रस्तुत कया जाना चाहिये ।
 - यद अगले सत्र के प्रारंभ से छह सप्ताह के भीतर राज्य वधियानमंडल के दोनों सदनों द्वारा इसे अनुमोदति नही कया जाता है तो अध्यादेश का असततिव समाप्त हो जाएगा ।
- **संवैधानिक सुरक्षा उपाय:**
 - अध्यादेश को [अनुच्छेद 14 \(समानता का अधिकार\) और 21 \(जीवन और व्यक्तगित स्वतंत्रता का अधिकार\)](#) के तहत [तर्कसंगतता](#) और [सार्वजनिक हति](#) के सिद्धांतों का पालन करना होगा ।
 - यद कसिी अध्यादेश को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला या कार्यपालकि के संवैधानिक अधिकारों के दायरे से बाहर पाया जाता है,

तो न्यायकि समीक्षा की प्रक्रिया उपलब्ध है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/up-government-s-ordinances-on-food-safety-and-contamination>

